कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-03/2016-17/

दिनांक : /08/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, घाट

जिला- चमोली

विषय : क्षेत्र पंचायत घाट जनपद चमोली, का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **आठ** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 03/2016-17/ दिनांक: /08/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये खण्ड विकास अधिकारी/ क्षेत्र पंचायत घाट, जनपद- चमोली पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री करण सिहं नेगी - अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत

श्रा पी0के त्रिवेदी (प्रभारी) खण्ड विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i)श्री अशोक कुमार व0ले0प0अ0

(ii) श्री अर्जन सिहं स.ले.प.अ.

(iii) श्री के0बी गुंरुग., पर्यवेक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 29.02.2016 से 08.03.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2012-13 से 2014-15 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं. घाट,** जनपद **चमोली**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः 54

भौगोलिक क्षेत्र :-- 30200 हेक्टेयर

जनसंख्या : -

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 27

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 12

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- 06 बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्या 15

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - 1 कार्यालय भवन,

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- 09

9- (अ) सामाजिक संरक्षा (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:- (द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : शून्य

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :1,57,64,038

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12 क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत घाट, जनपद- चमोली** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 04/2013- से 03-2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ. के आंशिक पर्यवेक्षण मे श्री अर्जुन सिहं, स.ले.प.अ. एवं श्री के0बी0 गुरुंग पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 30.04.2016 से 07.05.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर	**भाग 4 (ब)-1**	**भाग 4 (ब)-2**
	प्रथम लेखापरीक्षा	

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	--	

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची --

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख -

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1:- विभिन्न मदों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2015-16 के मध्य प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का अपूर्ण रहना।

विभिन्न मदों के तहत वर्ष 2014-15 से 2015-16 के तहत प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य लम्बी अवधि से अपूर्ण पडे है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	**कार्य का नाम/ राज्य वित्त/13वा वित्त आयोग**	**स्वीकृत धनराशि**	**व्यय की धनराशि**
1.	खुनाणा पंचायत चौक का सौन्द्रयकरण	190,000/-	50,066/-
2.	नारगी के वगवान नामक तोक में पेयजल योजना निर्माण	91,000/-	49,948/-
3.	मावड़ चौनौली प्रतीक्षालय निर्माण	90,000/-	50,800/-
4.	सीक में प्रतीक्षालय निर्माण	90,000/-	39,115
5.	खडा उडियाल (बाटा खेतों)से तल्ता चिडियाघार तक पेयजल योजना	90,000/-	70,492/-
		विधायक निधि	
6.	प्रतीक्षालय निर्माण कक्ष निर्माण टैक्सी स्टेण्ड घाट वाजार	2,50,000/	1,42,396/-
		6,11,000*<u>90,000</u> <u>7,01,000/</u>	**<u>3,63,702</u> <u>4,02,817/-</u>**

उपर्युक्त अपूर्ण कार्यों के वारे में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में वताया गया कि भौगोलिक परिस्थिति के कारण कार्य समय पर पूर्ण नही किये जा सके शीध्र पूर्ण कर लिये जायेगे उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त कार्यों को 03 माह के अन्दर पूर्ण हो जाने चाहिए थे। यह कार्य लम्बी अवधि से अपूर्ण पडे है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली के तहत उपकर की धनराशि निर्माण कार्यों मे कटौती न करके कल्याण वोर्ड निधि में जमा न किया जाना

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002 टी0सी0-iiदिनांक 18-08-2014 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन अधिनियम 1996 तथा गठन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत किये गये है जिसमें निर्माण श्रामिकों के पंजीयन के उकरान्त उन्हे विभिन्न हितकारी योजनाओ द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किए गये,जैसे पैशन,दुघर्टना मुआवजा, मृत्योपरान्त, सहायता चिकित्सा सहायता बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता मातृत्व लाभ पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता टूल किटके रुप में सहायता आदि उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का 01 प्रतिशत उपकार के रुप में श्रम कल्याण वोर्ड की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान था।

खण्ड में निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि सम्बन्धित खण्ड द्वारा उक्त प्राविहाइनक श्रम उपकर की 01 प्रतिशत धनराशि का आगणनों में प्रावधान कर कटौती करके श्रम कल्याण वोर्ड में नही जमा किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा वताया गया कि नियमों एंव आदेश की प्रति प्राप्त न होने के कारण परिपालन नही किया जा सका उच्चधिकारियों के संज्ञान में प्रस्तुत करने पर आग्रिम कार्यवाही की जायेगी

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 3:- स्थानीय विवाद के कारण ` 10.00 लाख की धनराशि को अवरुद रखना।

उत्तराखण्ज सीमान्त पिछडा क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2014-15 में टैक्सी स्टैण्ड (पर्किंग) निर्माण हेतु ` 20.00 लाख का आगणन तैयार किया गया था।

परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चमोली द्वारा दिनांक 11-08-2015 को प्रथम किस्त `10.00 लाख अवमुक्त किया गया था। इकाई द्वारा दिनांक 14-12-2015 को अल्पकालिन निविदा, जिसकी लागत ` 19.61 लाख थी (19.62∗0.382)[1] आमन्त्रिक की गई एवं दिनांक 29-12-2015 प्राप्त हुई थी, न्यनतम निविदादाता के 0.05 प्रतिशत विभागिय दर से कम पर दिनांक 19-01-2016 को अनुबंध कर दिनांक 31-03-2016 को कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया।

क्षेत्र पंचायत धाट के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो निविदा के आधार पर न्यूनतम निविदादाता से कार्य का अनुबंध कराया गया था, जो अधिप्राप्ति नियमावली के 2008 के नियम -61(2) के विपरीत था तथा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार् आरम्भ किया गया। जिस कारण दिनांक 03.03.2016 को विवाद होने के कार्य आरम्भ नहीं किया गया जा सका। तहसीलदार द्वारा जाँच उपरान्त दिनांक 11.04.2016 को सूचित किया गया कि सम्प्रदायिक विवादित स्थल होने के कारण अन्यत्र अविवादित स्थल को चयन किया जाऐ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बताया गया कि निविदा प्रक्रिया हेतु भविष्य में पूर्नवृत्ति नहीं की जायेगी। भूमि का चयन किया गया था। कार्यस्थल में विवाद होने के कारण ठेकेदार को भुगतान नहीं किया है। कार्य स्थल चयनित करने हेतु उच्चाधिकारी को सूचित किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निविदा प्रणाली में अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन किया जाना चाहिए था। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चिता पश्चात कार्य आरम्भ किया जाना था। एवं भूमि विवाद के प्रकरण में धनराशि को एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना था।

अतः ` 10.00 लाख की धनराशि को भूमि विवाद होने के पश्चात भी अवरुद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।[1]

---

[1] **उक्त कार्य की आगणन की धनराशि ` 19,61,854.90 एवं ` 38.200 आकस्मिक व्यय की धनराशि।**

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 4:- इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2013-14 में ` 3,56,000/- होने के उपरान्त भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

इन्दिरा आवास योजना के वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित लाभार्थियों को निम्निलिखित विवरण के अनुसार प्रथम व द्वितीय किश्तें निर्गत की गई परन्तु निर्माण कार्य वर्तमान तक अपूर्ण हैः-

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त प्रथम एवं द्वितीय किश्त
1.	श्री चन्द्रीलाल	75,000/-	63,750/-
2.	श्रीमति चन्द्रा देवी	75,000/-	63,750/-
3.	श्रीमति वीना देवी	75,000/-	18,750/-
4.	श्रीमति कमली देवी	75,000/-	18,750/-
5.	श्रीमति सावित्री देवी	75,000/-	63,750/-
6.	श्रीमति कुन्ती देवी	75,000/-	63,750/-
7.	श्रीमति संग्रमी देवी	75,000/-	63,750/-
		5,25,000/-	**3,56,250/-**

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उत्तर में बताया कि सम्बनधित लाभार्थियों के विरुद्ध शीघ्र वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रतिवेदि किया जा रहा है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 5:- विभिन्न मदों के तहत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में ब्याज प्राप्ति शीर्श में न जमा किया जाना ` 29.61 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 347/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वि.आ.)2013 दिनांक 17.01.2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं जैसे जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि जैसे केन्द्रिया वित्त, राज्य वित्त, क्षेत्र विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि, पी.एम.जी.एस.वाई. मनरेगा, इत्यादि। जो लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण बैंक में जमा रहती है तथा उन पर बैंक से ब्याज अर्जित होता है उस अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

खण्ड विकास अधिकारी की विभिन्न मदों के तहत प्राप्त ब्याज की धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त मदों से अर्जित ब्याज की धनराशि ` 2,96,100/- जो कि राजकोष में जमा कराई जानी थी जमा नहीं कराई गई खण्ड़ के पास बैंक खाते में पड़ी हुई है (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर खण्ड़ विकास अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया कि उच्चाधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर खातों से प्राप्त ब्याज की धनराशि को जमा/सम्बन्धित विभाग को वापस करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण ब्याज प्राप्ति की धनराशि को शीघ्र ही रोजकोष में जमा करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 6:- इन्दिरा योजना के तहत ` 18.15 लाख की धनराशि व्यय करने के बावजूद आवास निर्माण पूर्ण न करना

इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहिन उन परिवारों को जिनके पास पर्याप्त सुविधा नही है आवास निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से लाभार्थियों को ` 75000/- की सहायता दी जानी थी योजना के अनुसार प्रत्येक आवास में शौचालय का निर्माण किया जाना था इन्दिरा आवास योजना के तहत लाभाथियों को 03 चारणों में धनराशि आवटित की जानी थी प्रथम किस्त जारी होने के 09 माह के अन्दर लिंटर तक का कार्य हो जाना चाहिए तथा दूसरी किस्त जारी होने की तारीक से 09 माह के अन्दर आवास का कार्य पूर्ण होना चाहिए तृतीय किस्त 15% मकान का फोटो एवं कार्यपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात जारी की जानी थी किसी भी स्थिति में मकान पूर्ण करने में प्रथम किस्त की तरीके से दो वर्षो से अधिक समय नही लगना चाहिए ब्लाक स्तर के अधिकारियों द्वारा मकान का निरीक्षण किया जाना चाहिए निगरानी करके सत्यापित किया जाना चाहिए।

उपर्यक्त योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दैवीय आपदा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत घाट वर्ष 2013-14 में 44 लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त जारी की गई थी कार्य पूर्ण नही किया गया

विवरण निम्नवत है

लाभार्थियो की संख्या	**अवमुक्त प्रथम/द्वितीय किस्त**	**कुल धनराशि**
22	18750∗22	412500-
22	63750∗22	1402500-
	कुल योग	**1815000**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया सम्बन्धित लाभार्थियों को आवास पूर्ण करने हेतु नोटिस दिये जायेगे।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 7:- ` 4.00 लाख के कार्यों का दिशा निर्देशों के विपरीत कराया जाना

भारत सरकार द्वारा सीमान्त एव पिछडा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत सीमान्त तथा पिछडे विकास खण्डों में आवटित जनमानस को स्थानीय आधार पर मूल भूत अवस्थापना संरचनाओं और विकास सम्बन्धी अन्य मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से योजना का क्रियान्वयन किया गया है इस निधि के तहत विभिन्न विकासोन्मुक योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे कार्यों के ऐसे अन्तर (Gapfilting) को पूर्ण किया जा सके

इस योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को अनुमन्य कार्य/गैर अनुमन्य कार्य की श्रेणी में रखा गया है। क्षेत्र पंचायत घाट द्वारा वर्ष2013-14 में निम्न कार्य कराये गये थे जो गैर अनुमन्य कार्य की श्रेणी में सूची बध्द किया गया है।ऐ

क्र.स.	**कार्य का नाम**	**धनराशि**
1.	गांव से प्रा0वि0 ल्याणी तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	1,37,000-
2.	छत निर्माण पंचायत घर धूनी(पंचायत घर की छत निर्माण	1,50,000-
3.	पंचायत घर चारदीवारी निर्माण लाखी	2,50,000-
	कुल योग	**5,37,000-**
		4,00,000-

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उत्तर में वताया ग्रा0प0 स्तर पर कार्यों का चयन होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जाता है उत्तर मान्य नही है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 8:- जमानत की पूर्ण धनराशि प्राप्त किये बिना कार्य सौपंना एवं ` 29.39 लाख के कार्य अपूर्ण एंव अनारम्भ रहना।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुसचित जाति उपयोजना (SCSP) का संचालन किया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसचित जाति बाहुल्य ग्रामो में अवस्थापना सुविधायों के विकास के लिए वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत, घाट के ग्राम पंचायत, जोखना में आंगनवाडी केन्द्र निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि ` 4.89 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त ` 2.45 लाख दिनांक 09-09-2014 को इस आशय के साथ अवमुक्त किया था कि दिनांक 31-03-2015 में ग्राम पंचायत, मधकोट,बणकोट एव धूनी में बरात घर निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि ` 24.50 लाख के सापेक्ष ` 12.25 लाख प्रथम किस्त के रुप में इश आशय के साथ प्रेषित की गई थी कि कार्य दिनांक 31-03-2016 तक पूर्ण कर लिया जाय।

इकाई द्वारा दिनां 14-12-2015 को आल्पकालीन निविदा आमन्त्रित कर कार्य दिनांक 31-03-2016 तक पूर्ण किया जाना था। निविदा के शर्तो के अनुसार निविदादाता को एक सप्ताह के जमानत की पूर्ण धनराशि(10% लागत का) जमाकर अनुबन्ध किया जाना था, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जानी थी।

क्षेत्र पंचायत घाट की अभिलेखों की जाँच में पाय गया कि ठेकेदारों द्वारा जमानत की पूर्ण धनराशि (अनुलंग्नक) जमा न करके कार्य सौंप दिया गया एंव चार कार्यों के सापेक्ष क्रम संख्या-01व 02 में कार्य प्रारम्भ ही नही किया गया था तथा क्रम संख्या-03 व 04 में प्रथम किस्त ` 6.45 लाख के सापेक्ष ` 4.75 लाख का भुगतान किया गया था। इस प्रकार इकाई द्वारा ठेकेदारों से जमानत की पूर्ण धनराशि न लेकर कार्य सौपना एवं कार्य अपूर्ण रहना इकाई के कार्य के प्रति शिथिलता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि क्रम संख्या 01,03,04 का कार्य माह 4/2016 से प्रारम्भ कर दिया है कार्य प्रगति पर है एवं क्रम संख्या 02 का अनुबन्ध नहीं किया गया है। ठेकेदारों से जमानत की अवशेष धनराशि को प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। तथा भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।

अतः जमानत की धनराशि पूर्ण प्राप्त किये बिना कार्य सौपना एवं प्रथम किस्त की राशि ` 14.75 लाख के सापेक्ष ` 4.75 लाख व्यय उपरान्त कार्य अपूर्ण/अनारम्भ का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

अनुभाग-4-(स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खंड विकास अधिकारी, क्षे. प. घाट** को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय